HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 661/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.737/2026
CNR: RJHC020317612026 | URN: SOSA / 1272U / 2026

1. Vijay Singh @ Lakki, S/o Bhairu Singh
2. Ajay Singh @ Vikki, S/o Bhairu Singh
3. Manoj Pareta S/o Pappu Pareta, All R/o Hanuman Basti Near Sahu Kirana Store Dadawari Kota Rajasthan. (At Present Confined At Central Jail Kota).

----Petitioners

Versus

State Of Rajashtan, Through P.P

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abdul Kalam Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/07/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **विजय सिंह उर्फ लक्की, अजय सिंह उर्फ विक्की एवं मनोज पारेता** की ओर से विचारण न्यायालय–**सैशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**239/2020, सरकार बनाम विजय सिंह एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **13.03.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात–सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान दो माह से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहे हैं, तत्पश्चात् वे जमानत पर आजाद रहे हैं तथा वे वर्तमान में निर्णय की दिनांक 13.03.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा उनकी अभिरक्षा अवधि लगभग सात माह की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी डॉ0 सुरेन्द्र मीणा पी0डब्ल्यू–4 के रूप में अभियोजन की ओर से परीक्षित हुआ है, उन्होंने किसी भी तरह से मजरूब के कोई भी चोट प्राणघातक रही हों, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है, उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में सिटी स्कैन रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं हुई है। अभियुक्तगण के विरूद्ध 307 एवं 326 भा0दं0सं0 के अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य एवं तथ्यों का समग्रता से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया है, अपील में अपीलार्थीगण के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्रता से अवलोकन किया। अतः परीक्षित गवाहान की साक्ष्य की प्रकृति, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों–समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के

संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **25.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण– **1. विजय सिंह उर्फ लक्की पुत्र श्री भैरू सिंह, 2. अजय सिंह उर्फ विक्की पुत्र श्री भैरू सिंह एवं 3. मनोज पारेता पुत्र श्री पप्पू पारेता** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/50